बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक-:**30/12/2021**

प्रेषक,

सी०पी०खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय :- **दिनांक 03.11.2021 को सम्पन्न जल-जीवन-हरियाली अभियान की समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही के संबंध में**

प्रसंग :- **विभागीय पत्रांक-672(JJHH), दिनांक-12.11.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में दिनांक 03.11.2021 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जल-जीवन-हरियाली अभियान की विभागवार/अवयववार समीक्षा की गयी | इस क्रम में मनरेगा से संबंधित अवयवों की समीक्षा की गयी जो निम्न है :-

1. मनरेगा अंतर्गत 8422 तालाबों/पोखरों के जीर्णोधार का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें 6857 (81.41%) तालाबों/पोखरों का जीर्णोधार कार्य पूर्ण किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव के द्वारा शत-प्रतिशत तालाबों/पोखरों का जीर्णोधार पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।
2. समीक्षा के क्रम में मनरेगा अंतर्गत सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण शत-प्रतिशत करने के संबंध में निदेशित किया गया।
3. छोटी-छोटी नदियों/नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं के निर्माण की समीक्षा के क्रम में पाया गया की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2088 संरचनाओं के विरुद्ध 1703 (81.56%) संरचनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष कार्य को जल्द-जल्द पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।
4. नये जल श्रोतों के सृजन की समिक्षोपरांत पाया गया की ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14481 संरचनाओं के विरुद्ध 12736 (87.94%) संरचनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष कार्य को जल्द-जल्द पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।
5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा अंतर्गत 120.19 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा 150.78 लाख पौधारोपण किया गया है। शेष लक्ष्य को पूर्ण करने के संबंध में निदेश दिया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में अपने जिले में मनरेगा अंतर्गत जल-जीवन-हरियाली अभियान के विभिन्न अवयवों के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

विश्वासभाजन

(सी०पी०खण्डूजा)
आयुक्त, मनेरगा।

प्रतिलिपि :-

(1) सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(2) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।
(3) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।